2.6.2015	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक अपील प्रार्थना-पत्र

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत नामान्तरण संख्या 381 निर्णय दिनांक 5.10.2013 ग्राम तुलसीपुरा पेशकर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि जेर अपील नामान्तरण संख्या 381 प0ह0 तुलसीपुरा द्वारा खातेदार दरबी बेवा भोरया की मृत्यु पश्चात भोरया के भाई हनुमन्ता के पुत्र रामसुखा पुत्र हनुमन्ता के हक में दर्ज किया गया है जो कि भोरया का दत्तक पुत्र बताकर दर्ज किया गया है जबकि रेस्पोंडेस्ट नं. 2 को भोरया पुत्र हनुमंता व दरबी बेवा भोरया द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया गया है ना ही कोई गोदनामा तहरीर तकमील किया है ना ही रजिस्टर्ड कराया है ऐसी स्थिति मे जेर अपील नामान्तरण विधि के प्रावधानों के विपरित होने से अवैध निरस्त होने योग्य है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया। प्रार्थी पक्ष की तरफ से प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना-पत्र भी पेश किया गया, जिसमे स्थगन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरण की विवादित आराजी पर स्थगन जारी किया गया। धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया गया कि अपील नामान्तरण की जानकारी दिनांक 2-5.2021 को रेस्पो. नं. 2 द्वारा मृतक दरबी बेवा भोरया का नामान्तरण दिनांक 5.10.2013 को रेस्पो.	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न.1 से अपने हक मे करालेने एवम् दिनांक 21.11.2025 को भूमि का रेस्पो. सं. 2 ता 5 के हक में बयनामा पंजीयन कराने की कहने पर अपीलांट द्वारा सभी समय जिला कलेक्टर कार्यालय करौली रेकॉर्ड रूम मे नकल नामान्तरण सं. 381 का आवेदन कर दिनांक 7.5.25 को नकल नामान्तरण प्राप्त होने पर हुई इससे पूर्व अपीलांट को और अपील निर्णय दिनांक 5.10.2013 जानकारी व ज्ञात नही रहा है अपीलांट 97 साल का वृद्ध व्यक्ति है इसलिये दिनांक 5.10.2013 से 2.5.2025 तक का समय जानकारी अभाव में माफ किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 01 सरपंच ग्राम पंचायत तुलसीपुरा (प्रशासक वर्तमान) ने जवाब पेशकर अवगत कराया कि ग्राम तुलसीपुरा के नामा. सं. 381 दिनांक 8.10.2013 विवादित है। आगामी की सुनवाई मे उपस्थित हुई एवं उक्त नामान्तरण सं 381 सन 2013 के निर्वतमान सरपंच भरतीला देवी द्वारा फैसल किया गया है। जबकि मेरा कार्यकाल 2020 से लगातार आदिनांक तक जारी है। अतः उक्त मामले के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है और यदि भविष्य में होगी तो बताने हेतु सदैव तत्पर रहूँगी। अप्रार्थी सं. 2 लगा. 5 ने अपना जवाब पेशकर अवगत कराया कि नामान्तरण दिनांक 5.10.2013 को खोला गया है जिसकी

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पूर्ण जानकारी अपीलांट को रही है। अपीलांट रामसुख पत्र व चालाक किस्म का व्यक्ति है। खातेदार हरजी केवल भौरया के फौत होने पर रामसुखा ने गलत तरीके से हरजी का वारिस बनकर पटवारी हल्का से हरजी को ला-औलाद बताते हुऐ अपने नाम नामान्तरण भरवा लिया, लेकिन मजमे आम मे सरपंच द्वारा जांच करने पर रामसुखा व अन्य की सहमति से मुझ रत्तीराम हलके पुत्र भौरया के नाम दिनांक 5.10.2013 को नामान्तरण खोला गया और दिनांक 5.10.2013 को नामान्तरण खोलते समय स्वंय रामसुखा ने मुझ रत्तीराम को भौरया का दत्तक पुत्र मानते हुऐ मेरे हक मे नामान्तरण खुलवाया था। इस प्रकार अपीलांट रामसुखा को नामान्तरण और अपील की जानकारी नामांतरण की दिनांक से रही है। जिसे अपीलांट ने छिपाया है। अपीलांट का यह कहना है कि नामांतरण की जानकारी दिनांक 2.5.2025 को हुई है, गलत व्यक्त किया है। इसलिए हर० धारा 05 म्याद अधि-नियम खारिज होने योग्य है। यह है कि स्वंय रामसुखा द्वारा मुझ रत्तीराम को दिनांक 14.7.1989 को जाति की रीति-रिवाज के अनुसार भौरया को गोद लिया था, और गोद की लिखा-पढी हुई थी। जिस पर गोद देने वालो के, गोद लेने वालो को तथा गवाहो के हस्ताक्षर निशानी हुऐ थे। गोद की रस्म हुई थी, जिसके संबंध में दिनांक 12.11.2013 को रत्तीराम के द्वारा एक शपथ-पत्र स्टाम्प पर तैयार कराया था, जिस पर सहमति की स्वंय रामसुखा की निशानी हुई थी। मुझ रत्तीराम के समस्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कागजात यथा राशन कार्ड, जोब कार्ड, किसान कार्ड,
वोटर पहचान पत्र, हीरेलपुरा ग्राम सेवा सहकारी
समिति लिमिटेड की रसीदें, खेल की व पेनल्टी
की रसीदें, मतदाता सूची सन 2009, 1994, व 2014
सभी दस्तावेजो पर जो सभी लोग दस्तावेज है। पर
मेरे पिता का नाम भौरया दर्ज है। मैं रलीराम भौरया
व दरबी का एकमात्र वारिस हूं। मेरे हक मे नामान्तरण
रामसुख्या की जानकारी में हुआ है। मुझ रलीराम की
गोद की लिखा - पढ़ी स्वयं रामसुख्या के पास है और
मेरा असल शपथ- पत्र भी रामसुख्या के पास है।
रामसुख्या ने उसके लड़को के दबाव मे आकर
मेरी जमीनो को छीनने की दृष्टि से यह अपील बेरुन
म्याद पेश की है, जबकि रामसुख्या को इस
नामांतरण की शुरु से जानकारी थी। इस कारण हस्त०
खारिज कर अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की सबसे पहले धारा
5 म्याद अधिनियम प्रार्थना- पत्र पर बहस सुनी
गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र
के तथ्यो को दोहराते हुऐ ही निवेदन किया कि
दिनांक 5.10.2013 से 2.5.2025 तक का समय
जानकारी अपीलांट के अभाव में माफ किया जावे
क्योंकि अपीलांट 99 साल का वृद्ध है, कृषक है साथ
ही अपने पक्ष में RBJ (10) 2003 Page No. 366
In The Board of Revenue For Rajasthan,
Ajmer की Review/ LR/ 22/ 2000/ Ajmer

Madan Gopal others V State of Rajasthan, तथा RRT 2002 (1) Page No. 648 Hon'ble High Court State of Raj. Vs. Shyo Chand & others पेश कर डिले कन्डोन हेतु मांग की। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का बहस के दौरान निवेदन किया कि नामांतरण जो 5.10.2013 को खोला गया है, उसकी जानकारी अपीलांट को प्रथम दिन से ही रही है खातेदार रूरली बेवा भौरया के फौत होने पर रामसुखा ने गलत तरीके रूरली का वारिस बनकर प० ह० से रूरली को लावोलाद बताते हुऐ नामान्तरण अपने नाम भरवा लिया, जिसकी सरपंच द्वारा मजमे आम में जांच करने पर पुत्र रूलीराम को भौरया का रूतल पुत्र मानते हुऐ नामान्तरण खोला गया। उभयपक्ष बहस का अवलोकन करने के पश्चात सर्वप्रथम नामांतरण सं. 381 निर्णय दिनांक 5.10.2013 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि प० ह० द्वारा उक्त नामान्तरण रूरली बेवा भौरया जाति गुजर की विरासत का कॉलम सं. 09 के अनुसार रामसुखा पुत्र हनुमंता जाति गुजर के नाम दर्ज किया गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपना निर्णय

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी (राज०)

'नामांतरण क्रमांक 381 रामसुख्या पुत्र हनुमंता के स्थान पर गोदनामा से रतीराम गुर्जर पिता मौरूया नि. तुलसीपुरा तह. करौली के नाम राजी सहमति से स्वीकार किया जाता है।' अंकित किया है।

इसके साथ ही Indian Limitation Act 1963 की sec. 5 का अवलोकन भी अत्यंत आवश्यक है। जिसके अनुसार,

'Extension of prescribed period in certain cases, - Any appeal or any application, other than an application under any of the provision of order XXI of the CPC may be admitted after the prescribed period if the applicant or the appellant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.'

उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र के समस्त दस्तावेजों, बहस, मूल नामांतरण सं. 381 के निर्णय, धारा 5 के अवलोकन से सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट है कि धारा 5 तभी स्वीकार की जा सकती है जब

देरी का कोई युक्ति-युक्त कारण हो और जिससे प्रार्थी न्यायालय को संतुष्ट कर सके। ग्राम पंचायत के निर्णय से स्पष्ट है कि उक्त नामांतरण प० हं० द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मय मौका-जांच से जांच पश्चात उक्त नामान्तरण गोदनामा के आधार पर खाली सामाते को स्वीकार किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि प्रार्थी को उक्त समय ही नामान्तरण की अपील यदि कोई आपत्ति थी तो करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इस बाबत प्रार्थी द्वारा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। उपर्युक्त समग्र के विश्लेषण, विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतरण की जानकारी प्रार्थी को शुरू से होना साबित है परन्तु अपील मियाद अवधि में पेश नहीं की गई है। उक्त कारण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। उक्त अपील भी उक्त परिप्रेक्ष्य में खारिज की जाती है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पते का सूचना पत्र समक्ष करूंगा। दिनांक 19/5/2025 सन् ई.

हस्ताक्षर (हस्ताक्षर)

(12)

पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)